

निदेशालय पंचायतीराज,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या:- 3057/1-पं०/स्था०-18/2018-19,

देहरादून दिनांक- 31.3.2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं सांसादीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI(3) /2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 को द्वारा प्रख्यापित " उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2018" की धारा -16(1) में दी गई व्यवस्था निदेशालय, पंचायतीराज के नियंत्रणाधीन पंचायतीराज विभाग एवं जिला पंचायत के अन्तर्गत केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति गठित की जाती है:-

- 1- निदेशक, पंचायतीराज- अध्यक्ष।
- 2- संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज- सदस्य।
- 3- संयुक्त निदेशक, जि०पं० अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज- सदस्य।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, यू०आई०आर०डी०ए०- सदस्य। (मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित)

(एच०सी०सेमवाल)  
निदेशक,

संख्या:- 3057/तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव महोदया, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ।
- 2-उपरोक्त अधिकारी गण।
- 3-मुख्य अभियन्ता, यू०आई०आर०डी०ए० को इस अनुरोध के साथ विभागीय स्थानान्तरण समिति के परिप्रेक्ष्य में अपने स्तर से किसी एक अधीक्षण अभियन्ता को समिति का सदस्य अधिकृत करने का कष्ट करें।
- 4-प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट(पी०एम०यू०), पं०रा०निदे० को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- 5-गार्ड फाईल।

(एच०सी०सेमवाल)  
निदेशक,